

राजस्थान सरकार  
राजस्व शुभ-6 विभाग

समस्त जिला कलेक्टर  
राजस्थान।

परिपत्र

क्रमांक-1018/राज-6/2001/18

जयपुर, दिनांक:- 01.11.04

विषय:- सभी प्रकार की सड़कों के किलारे खाली भूमि पर किस प्रकार का निर्माण कितनी दूरी पर किये जाने हेतु अनुमति के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक-6.7.04 के संबंध में कुछ जिला कलेक्टर द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि इण्डियन रोड काग्रेस के 1978 के दिशा निर्देश लागू होने या 1983 के निर्देश लागू होंगे । इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाती है कि भूमि के कर्तवजन आदेश जारी कल्पे समय इण्डियन रोड काग्रेस के जो दिशा निर्देश प्रचलन में होंगे वह ही उस समय लागू होंगे व भविष्य में जब कभी भी उनके दिशा निर्देश बदलेंगे तो बदलने के समय से वे लागू होंगे ।



उप शासन सचिव